

कुँवर सिंह पी.जी. कॉलेज, बलिया (उ०प्र०)

बी.ए. प्रथम वर्ष प्रवेश 2025-26

प्रवेश सम्बन्धी विशेष सूचना (Entrance Exam. 2025-26)

प्रवेशार्थी प्रवेश फार्म भरने से पूर्व निम्नलिखित सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें—

आवेदन-पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट <https://kspgcollege.org> पर आनलाइन भरा जायेगा।

- इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित प्रवेशार्थी बी०ए० भाग-एक में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31.05.2025 निर्धारित है। प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रवेश-समिति के सम्मुख इण्टरमीडिएट का मूल अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक अपना मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आगे की प्रक्रिया बाधित हो जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये, इसी मोबाइल नम्बर पर महाविद्यालय द्वारा विभिन्न सूचनाएँ प्रेषित की जायेंगी।
- प्रवेश आवेदन-पत्र में अपना मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि एवं अधिभार (Weightage) स्पष्ट लिखें क्योंकि एक बार **Save** होने के बाद उनमें परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। आवेदन-पत्र में भरे गये विषय का अंतिम रूप से निर्धारण काउंसिलिंग के समय उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जायेगा। काउंसिलिंग के बाद विषय-परिवर्तन किसी भी दशा में संभव नहीं होगा।
- प्रवेश आवेदन-पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट <https://kspgcollege.org> पर आनलाइन भरा जाना है। आवेदन-पत्र भरे जाने के पश्चात पंजीकरण का निर्धारित शुल्क रु० 300 (तीन सौ रु.) आनलाइन जमा कर **Print Reciept** (रसीद) अवश्य प्राप्त कर लें। रसीद निर्गत होने के बाद ही अभ्यर्थी द्वारा भरा गया प्रवेश आवेदन-पत्र अंतिम रूप से मान्य होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क स्थानान्तरणीय नहीं है। उसकी वापसी या समायोजन किसी भी दशा में संभव नहीं है।

बी०ए० प्रथम वर्ष सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश समिति-

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) प्रो० संजय (सैन्य विज्ञान विभाग) | संयोजक- 9919371344/7905040255 |
| (2) प्रो० अजय बिहारी पाठक (हिन्दी विभाग) | सह संयोजक- 9451746890 |
| (3) डॉ० हरिशंकर सिंह | सह संयोजक- 9415659911 |
| (4) श्री आशीष कुमार | सह संयोजक- 9627599554 |

कार्यालय सहायक-

- (1) श्री राजीव रंजन सिंह - 9532130873

तकनीकी सहायक-

- (1) श्री गुन्जेश्वरी प्रकाश (विकास) - 9839725908

(क) प्रवेश हेतु सामान्य नियम -

- (1) प्रवेश में आरक्षण की सुविधा माननीय उच्च न्यायालय एवं उ०प्र० शासन के नवीनतम प्राविधानों के अनुरूप प्रदान की जायेगी।
- (2) शासन/विश्वविद्यालय से समय-समय पर निर्गत होने वाले सभी नियम मान्य होंगे।
- (3) बी०ए० प्रथम वर्ष सत्र 2025-2026 में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर नियमानुसार लिये जायेंगे। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 540 मूल सीटें तथा EWS के अन्तर्गत 54 सीटें उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश आरक्षण-अधिसूचना के अनुसार छात्र/छात्राओं को आरक्षण नियमानुसार देय होगा। आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।
- (4) **प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी सभी सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पट्ट एवं कालेज की वेबसाइट <https://kspgcollege.org> पर दी जायेंगी।**
- (5) योग्यता गुणांक प्रतिदेय अधिभार के साथ बनाया जायेगा।
- (6) प्रवेश के बाद किसी भी स्थिति में विषय का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- (7) **मूल प्रमाण -पत्रों को बिना देखे तथा चरित्र प्रमाण-पत्र, टी.सी./माइग्रेशन प्रमाण-पत्र को जमा किये बिना प्रवेश संभव नहीं होगा।** प्रवेश के लिए सूचित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित उपस्थित नहीं होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- (8) **प्रवेश संस्तुत होने के दिन ही शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।** गलत सूचनाओं के आधार पर लिया गया प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद भी निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
- (9) यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त हो जाता है जो प्रवेश का अधिकारी न हो अथवा वह अर्ह न हो, महाविद्यालय को उसका प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (10) महाविद्यालय के प्राचार्य को किसी भी अनियमितता की स्थिति में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (11) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस रिकार्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हों, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि तथ्य छुपाकर कोई प्रवेश ले लिया गया तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- (12) महाविद्यालय में किसी छात्र का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा प्रवेश समिति की संस्तुति पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- (13) महाविद्यालय के अनुशासक मंडल द्वारा महाविद्यालय परिसर में रैगिंग करने वाले, वातावरण को दूषित करने अथवा महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने का दोषी पाये जाने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
- (14) सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

आरक्षण

आरक्षण संवर्ग— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति के

लिए क्रमशः 21, 02 तथा 27 प्रतिशत स्थान (कुल 50 प्रतिशत) आरक्षित हैं। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

क्षेत्रीय आरक्षण

- (क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिए पृथक—पृथक एक प्रतिशत (1 %) स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं।
- (ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत आरक्षण अपने संवर्ग में देय होगा।
- (ग) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं।
- (घ) महाविद्यालय के कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा—पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
- (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। यह पहले से दिये जा रहे आरक्षण से अतिरिक्त होगा। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण—पत्र का शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट <https://kspgcollege.org> से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट— दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी तरह के आरक्षण के लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय -

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. हिन्दी साहित्य | 6. राजनीति शास्त्र |
| 2. संस्कृत | 7. मध्य कालीन/आधुनिक इतिहास |
| 3. अंग्रेजी साहित्य | 8. अर्थशास्त्र |
| 4. उर्दू साहित्य | 9. भूगोल |
| 5. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन | |

उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार प्रवेशार्थी के लिए विषय का निर्धारण काउंसिलिंग के समय किया जायेगा।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता
(i)	बी.ए.	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।

(ग) (i) अधिकतम अंतराल (गैप) - दो वर्ष

बी०ए० प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

सन् 2023 के पूर्व इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन न करें। एक वर्ष के अंतराल पर 05 गुणांक तथा दो वर्ष के अंतराल पर 10 गुणांक की कटौती के पश्चात् योग्यता गुणांक का निर्धारण होगा। अंतराल हेतु **नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र** की मूल प्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ-पत्र इस आशय का होगा कि अभ्यर्थी ने अंतराल वर्ष/वर्षों में कहीं प्रवेश नहीं लिया था और न ही अनुचित साधन प्रयोग में दंडित किया गया था। शपथ पत्र में अभ्यर्थी यह भी घोषित करेगा कि उसके अर्ह न होने की दशा में या उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के असत्य होने की स्थिति में यदि मेरा प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(घ) अधिभार के नियम

उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियमानुसार अधिकार देया होगा।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

01. इस विवरण—पुस्तिका में दिये गये विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ हैं। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा। परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
02. **आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्र—**
अभ्यर्थी को अपने भरे हुये आनलाइन आवेदन की एक प्रति के साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अधिभार की फोटो स्टेट प्रति स्वयं प्रमाणित कर एवं मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय लाना होगा।
03. जाली एवं कूटरचित प्रमाण पत्रों के साथ जमा किया गया आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा संचालित बाद की किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।
04. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में दिये विवरण असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी का चयन केवल प्रवेश के लिए ही होगा। यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वांछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न कर पाने आदि।) प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश की सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा।

विशेष ध्यानाकर्षण :-

1. आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी यह भली-भाँति नोट कर लें कि चयनित घोषित होने के बाद भी उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वे आरक्षण सम्बन्धी **प्रमाण—पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूपों पर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे।** निर्धारित प्रारूपों पर प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में उनका चयन निरस्त माना जायेगा और वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे तथा इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

नोट :-

- (A) यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनल चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग होने का प्रमाण—पत्र उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो उसे किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता निरस्त समझी जायेगी। आनलाइन आवेदन पत्र में अभिलिखित श्रेणी एवं उप श्रेणी में किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
- (B) यदि प्रवेश हेतु सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में घोषित अन्तिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो शासन द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अ) सामान्य निर्देश :-

(1) योग्यताक्रम सूची :

अभ्यर्थियों द्वारा इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी। इण्टरमीडिएट के अंक बराबर होने पर हाईस्कूल के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

(2) आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य प्रमाण—पत्र :

आरक्षण का लाभ अनुमन्य करने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित नवीनतम प्रारूप पर प्रमाण—पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन—पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे, वे उस वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य न होगा। **अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह आवेदन—पत्र भरते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तब ही आवेदन करें, जब वे वांछित प्रमाण—पत्र रखते हों एवं जिसे काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत कर सकें।**